XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–16/2010

U/S 16, Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973

देवनारायण महतो, पिता–अयोध्या प्रसाद महतो, साकिन–सहरा, थाना–मरंगा, जिला– पूर्णियाँ ..... आवेदक

बनाम्

1. योगेन्द्र मेहता, पिता–स्व0 श्यामलाल मेहता
2. नारायण मेहता, पिता–स्व0 श्यामलाल मेहता, साकिन– कल्याणपुर, थाना–के0 नगर, जिला– पूर्णियाँ
3. राज्य ..... विपक्षी

आ दे श

आवेदक भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या–16/2001 में दिनांक 30.12.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद दायर किया है। आवेदक का कथन है कि मौजा–बैगना, थाना नं0–42, आर0एस0 खाता संख्या–877, खेसरा संख्या–3063, 3065, 3038, 3028, 3013, 3012 एवं 3014, कुल रकवा–4.49 एकड़, खाता संख्या–878, खेसरा संख्या–3052, 3053, 3067, 3149 एवं 3068, कुल रकवा–1.92 एकड़ एवं खाता संख्या–879, खेसरा संख्या–3051, 3232, 3218/3423, 3164, कुल रकवा–1.86 एकड़ जमीन विपक्षी के पिता स्व0 श्यामलाल महतो के पूर्वज के नाम था और सदर मुंसफ, पूर्णियाँ के न्यायालय द्वारा स्वत्व वाद संख्या–193/1955 में पारित आदेश के द्वारा विपक्षी के पिता के हिस्से में 16 आना अर्थात सम्पूर्ण जमीन दिया गया। उपरोक्त स्वत्व वाद में आदेश पारित होने के बाद भूधारी श्यामलाल महतो एवं उनके दो पुत्र उपेन्द्र महतो एवं नारायण महतो उपरोक्त जमीन आवेदक के पास दिनांक 29.07.1957 को रजिस्टर्ड केवाला संख्या–7628 द्वारा बेच दिया। तत्पश्चात आवेदक अपने नाम से जमीन का नामान्तरण करवा कर दखलकार होकर चले आ रहे है, जिसका नामान्तरण वाद संख्या–30/1966–67 है। आवेदक जिस समय जमीन खरीदे थे, उस समय आर0एस0 सर्वे चल रहा था और सर्वे में वर्ष 1958 में प्रकाशित खतियान में उपरोक्त जमीन श्यामलाल महतो के नाम दर्ज हो गया। अपने जीवनकाल में श्यामलाल महतो ने कभी भी आवेदक के दखल पर आपत्ति नहीं उठायी। वर्ष 1990 में श्यामलाल महतो एवं वर्ष 1999–2000 में उनके पुत्र उपेन्द्र महतो की मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या–1 लालच में आकर भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर के न्यायालय में नामान्तरण अपील दायर किया, जिसे निम्न न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। पुनः विपक्षी इस न्यायालय में नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–55/2002 दाखिल किया, जिसे इस न्यायालय से भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर को सुनवाई हेतु वापस भेजा गया। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता ने बिना जाँच कियें, आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को नजरअन्दाज कर आवेदक के नाम जमाबन्दी को रद्द कर दिया गया। विपक्षी के पिता एवं भाई ने कभी आपत्ति नहीं की, फिर भी निम्न न्यायालय में विपक्षी की बात को स्वीकार करते

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर व कार्रवाई के ब टिप्पणी तारीख
1	2	3

हुए आदेश पारित किया गया। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी भी दृष्टिकोण से विधि सम्मत नहीं है। आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय से अभिलेख मंगवाकर न्याय करने की कृपा करें।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। आवेदक ने गलत तरीके से प्रश्नगत जमीन का नामान्तरण अपने नाम करवाया। विपक्षी को जब ज्ञात हुआ कि उनके पिता के नाम दर्ज कुल 17.92 एकड़ जमीन से 6.41 एकड़ जमीन का नामान्तरण आवेदक के नाम हो चुका है, तब विपक्षी ने भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या–16/2000–01 दायर किया। प्रश्नगत जमीन पर आवेदक का न तो पहले दखल था और न वर्तमान में हैं खेसरा संख्या–3039 की जमीन गैर मजुरूआ बिहार सरकार के नाम से दर्ज था, खेसरा संख्या–3021 मिस्त्री लाल के नाम से एवं खेसरा संख्या–3005 चैतू मियाँ तथा लस्कर मियाँ के नाम से दर्ज था। नामान्तरण वाद संख्या–30/1966–67 का अभिलेख भी अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। साथ ही जमाबन्दी पंजी में कोई मूल कागजात नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत केवाला गलत है। स्वत्व वाद संख्या–193/1955 आवेदक के पिता एवं विपक्षी के पिता के बीच चल रहा था, जिसमें न्यायालय द्वारा विपक्षी के पिता श्यामलाल महतो एवं तीन अव्यस्क पुत्र को प्रश्नगत जमीन का स्वामी धोषित किया गया। इस वाद के आदेश के उपरान्त आवेदक ने जाली केवाला करवाया, जबकि विपक्षी के पिता के द्वारा कोई केवाला नहीं किया गया है। अंतिम तथ्य जमीन पर दखल है और वह भी विपक्षी के ही पास है। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा नामान्तरण अपील वाद को खारिज कर दिया गया। पुनः विपक्षी इस न्यायालय में नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–55/2000 दायर किया। इस न्यायालय द्वारा वाद को पुनः भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में वाद की सुनवाई करने एवं स्थल जाँच करने के निदेश के साथ रिमान्ड किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा दुबारा स्थल जाँच कर एवं दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया गया, जो विधि के अनुकूल है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 16.04.2012 को सुनवाई की गयी। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दिन कुछ कागजात समर्पित करते हुए निम्न न्यायालय से एक अभिलेख की मांग की गयी। विपक्षी के द्वारा कभी भी इस अभिलेख की मांग पूर्व में नहीं की गयी। यह बात अभिलेख के अवलोकन से भी स्पष्ट हुआ है। विपक्षी के इस मांग पर आवेदक द्वारा आपत्ति किया गया। सुनवाई के दिन विपक्षी के द्वारा नया कागजात की मांग किया जाना उचित नहीं है, इसलिये विपक्षी के इस मांग को अस्वीकार किया गयां

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित किया गया। परन्तु वास्तव में स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। इस संबंध में उन्हें किसी तरह की नोटिश प्राप्त नहीं होने की बात कही गयी।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि स्थल जाँच में आवेदक की अनुपस्थिति के बारे में आवेदक के दावा गलत है। निम्न न्यायालय में सुनवाई एवं आवेदक के द्वारा कभी भी इस संबंध में आपत्ति नहीं किया गया है। विपक्षी का कहना है कि विवादित जमीन पर उनका दखल–कब्जा है। पूर्व के B.T. Act वाद में आवेदक के द्वारा स्वंय विवादित जमीन पर उनका दखल–कब्जा नहीं होने की बात स्वीकारा है।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख
1	2	3

पुनः दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजातों के अवलोकन के अवलोकन से उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन पर विपक्षी का दखल–कब्जा स्थलीय जाँच से प्रमाणित है। निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया, जो नियम संगत है। इस परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय के आदेश में किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। इस निर्णय के साथ आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/5

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

30/5

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ